

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 110 / 2016  
संस्थान दिनांक 23.02.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

अजय पिता ग्यारसीलाल कोली, आयु 21 वर्ष,  
निवासी- गिरनी फल्या, अंजड़  
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

---

// / निर्णय //

(आज दिनांक 05.03.2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 265/2015 अंतर्गत 324, 294, 506 भा.द.सं. में दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.11.2015 को समय प्रातः 10:30 बजे, गणेश जीनिंग के सामने, बड़वानी रोड अंजड़ में फरियादी किशन को लोहे के दराते से सिर में दाहिनी ओर तथा आँख के पास मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 23.02.2016 को फरियादी किशन तथा अभियुक्त अंजय के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 294, 506 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी के संबंध में अभियुक्त अजय के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी एवं अभियुक्त आपस में भाई है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.11.2015 को प्रातः फरियादी किशन मजदूरी करने गणेश जीनिंग के सामने बैठा था तथा कपास की गाड़ी का इंतजार कर रहा था तभी 10:30 बजे कपास की एक बैलगाड़ी आई व किशन मजदूरी की बात करने उसके पास जाने लगा तब उसका भाई अजय आया तथा कहने लगा कि उसका नम्बर है तथा वह गाड़ी खाली करेगा व फरियादी किशन को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगा, किशन ने गॉलिया देने से मना किया तो अभियुक्त अजय के हाथ में रखा लोहे का दराता सिधा फरियादी के सिर में मार दिया। फरियादी के बड़े भाई यशवंत एवं सुरेन्द्र ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने फरियादी किशन द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त अजय के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 265/2015 अंतर्गत धारा 324, 294, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त अजय के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.11.2015 को समय प्रातः 10:30 बजे, गणेश जीनिंग के सामने, बड़वानी रोड़ अंजड़ में फरियादी किशन को लोहे के दराते से सिर में दाहिनी ओर तथा आँख के पास मारकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी किशन (अ.सा.1), पुलिस प्रधान आरक्षक प्रमोद कुमार वर्मा (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी किशन अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि ने कोई कथन नहीं किया है। साक्षी का केवल इतना कथन है कि अभियुक्त उसका भाई है। 4 माह पूर्व वह गणेश जीनिंग के सामने कपास की वाहन का इंतजार कर रहा था तब अभियुक्त ने उसे आकर गोलिया दी। अभियुक्त एवं उसकी आपस में अमुक-झमुक हुई तो वह गिर गया और गिरने से उसे चोट आई थी। साक्षी ने उसके द्वारा प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया लेकिन उक्त रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा दराते से मारने की बात नहीं लिखाना बताया है।

8. पुलिस प्रधान आरक्षक प्रमोद कुमार वर्मा असा 2 का कथन है कि दिनांक 23.11.2016 को थाने के अपराध क्रमांक 265 / 15 की विवेचना के दौरान उसने प्रदर्शपी 3 का नक्शा मौका पंचनमा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी किशन एवं साक्षीगण यशवंत एवं सुरेन्द्र के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त किशन के पेश करने पर एक लोहे का दराता प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी मदिरापान कर गिर गया था, इस कारण उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. प्रकरण में राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में जबकि फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है और उनके विरुद्ध कोई भी कथन न्यायालय में नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी के साथ लोहे के दराते से मारपीट कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अंजय के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का दराता लकड़ी का हत्था लगा हुआ अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी